प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

29 फरवरी 2024

तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि[1] – दिसंबर 2023[2]

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– दिसंबर 2023' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल[3] (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर), तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर) - 2 सर्वेक्षण में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, मियादी जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखा-वार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर (अर्थात्, जमाराशियों का प्रकार, जनसंख्या समूह[4], बैंक समूह, राज्यों, जिले, केन्द्रों, ब्याज दर सीमा, आकार, मूल तथा अवशिष्ट परिपक्वता) पर जारी किए जाते हैं।

मुख्य बातें:

- मियादी जमाराशियों पर बढ़ता प्रतिफल, बैंक जमाराशियों में संरचनात्मक बदलाव ला रहा है: कुल जमाराशियों में मीयादी जमाराशियों की हिस्सेदारी मार्च 2023 में 57.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2023 में 60.3 प्रतिशत हो गई।

---

[1] दिसंबर 2023 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत एकत्रित) के आधार पर बैंक जमाराशि संबंधी समग्र डेटा हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े> पाक्षिक>भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किया गया है।

[2] बीएसआर-2 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। इन आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से किसी बैंक के साथ किसी गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

[3] सितंबर 2023 के अंत की स्थिति को शामिल करते हुए, शृंखला में पिछले जारी आंकड़े, 1 दिसंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया थे।

[4] बीएसआर के लिए उपयोग किया जाने वाला जनसंख्या समूह मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित राजस्व केंद्र, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं, की जनसंख्या के आकार पर आधारित है और इन्हें ए) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), बी) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या), सी) 'शहरी' (1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या), डी) 'मेट्रोपॉलिटन' (10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- वृद्धिशील आधार पर, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान सावधि जमाराशियाँ कुल जमाराशियों की लगभग 97.6 प्रतिशत थीं तथा चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमाराशियों की हिस्सेदारी में गिरावट आई।

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं की संयुक्त रुप से वृद्धिशील कासा जमाराशियों में 67.2 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, जबकि अक्तूबर-दिसंबर 2023 के दौरान कुल मियादी जमाराशियों में उनकी संयुक्त हिस्सेदारी बहुत कम 21.7 प्रतिशत थी।

- जमाराशियाँ उच्च ब्याज दर समूहों में चली गईं: 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाली मियादी जमाराशियों की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में कुल मियादी जमाराशियों का 61.4 प्रतिशत हो गई, जो एक तिमाही पहले 54.7 प्रतिशत और मार्च 2023 में 33.7 प्रतिशत थी।

- अक्तूबर-दिसंबर 2023 के दौरान वृद्धिशील मियादी जमाराशियों का लगभग दो तिहाई '₹1 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ से कम' आकार का था - पिछली तिमाही में इसकी हिस्सेदारी 46.5 प्रतिशत थी।

- महिला ग्राहकों ने जमाराशि अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया: अक्तूबर-दिसंबर 2023 के दौरान वृद्धिशील कासा, मियादी और कुल जमाराशियों में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 63.4 प्रतिशत, 36.1 प्रतिशत और 40.1 प्रतिशत थी। कुल जमाराशियों में उनकी हिस्सेदारी सितंबर 2023 में 20.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2023 में 20.6 प्रतिशत हो गई।

- दिसंबर 2023 में वरिष्ठ नागरिकों की कुल जमाराशियों में 20.1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1972